न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 41/2019 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जयप्रकाश पुत्र श्री रघुवीरप्रसाद कोम ब्राह्मण निवासी ग्राम ईशवाना तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मंदिर मूर्ति श्री गोविन्ददेवजी महाराज जर्ये (नेक्सटफ्रेण्ड) वाद मित्र प्रदीप कुमार पुत्र श्री मुरारीलाल कोम ब्राह्मण निवासी ग्राम टहटडा तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

.....रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री बनाराम मीना, अभिभाषक अपीलांट।
2. राजेश कुमार शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 06.08.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रैणी के आदेश दिनांक 18.10.19 दावा संख्या 02/378 बउनवान मंदिर मूर्ति श्री गोविन्ददेवजी महाराज बनाम मालती देवी के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर में इस प्रकार का वाद पेश किया गया कि हाल आराजी खसरा नं. 308/0.45, 309/0.42, 317/0.66, 673/0.23, 678/0.23, 1032/0.47, 1160/0.24, 1161/0.12, 1164/0.82, 1165/0.61, 1166/0.21, 1167/0.42, 1168/0.42, 1180/0.26, 1181/0.54, 1182/1.10 कुल किता 16 कुल रकबा 7.20 है0 खाता संख्या 233 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 ला0 2075 वाके ग्राम टहटडा तहसील रैणी जिला अलवर विवादित आराजी है। उक्त विवादित आराजी साबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी मूर्ति मन्दिर गोविन्द देवजी महाराज की कब्जे

काश्त खातेदारी की आराजी है। चूंकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, इसलिए अप्रार्थी का पुर्वज स्व0 जगन्नाथ पुत्र कन्हैयालाल ब्राह्मण मूर्ति मन्दिर की ओर से विवादित आराजी पर बतौर साझेदार काश्त, प्रबन्ध व देखभाल करता था। अप्रार्थी के पुर्वज स्व0 जगन्नाथ ब्राह्मण द्वारा राजस्व कर्मचारीयान से सांठ–गांठ कर विवादित आराजी के खाना खातेदारी में गलत तौर पर अपने नाम का ईन्द्राज करा लिया था। उनके स्वर्गवास के बाद उसके वारीसान अप्रार्थीगण के नाम विरासत में दर्ज हो गया। मन्दिर मूर्ति एक ऐसा ज्यूरिस्टीक पर्सन है, जो कभी बालिग नहीं होती है। अतः नाबालिग की सम्पत्ति पर किसी भी व्यक्ति को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा अप्रार्थी के पूर्वज एवं अप्रार्थीगण को मिली खातेदारी प्रारम्भ से ही शुन्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ला0 17 ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी है कि वो विवादित आराजी को विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर रहन, बैय या अन्य किसी भी तरीके से मुन्तकिल कर खुर्द–बुर्द करेंगे। ऐसा होने पर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मातहत अदालत से निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के साथ कब्जे काश्त को लेकर कोई व्यवधान उत्पन्न ना करें और विवादित आराजी को जरिये रहन, बैय, हिबा या अन्य किसी भी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा दिनांक 18.10.19 के आदेश द्वारा उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वो विवादित आराजी में आगामी नियत तारीख पेशी दिनांक 20.11.19 तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मातहत अदालत के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट व अन्य सहखातेदारान की शामिल की कब्जे काश्त खतेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बरान 1032, 1160, 1161, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1180, 1181, 1182, 308, 309, 317, 673, 678 वाके ग्राम टहटडा तहसील रैणी जिला में अपीलाण्ट की माता श्रीमति रूकमणीदेवी पुत्री जगन्नाथ ब्राह्मण निवासी टहटडा तहसील रैणी हाल निवासी ग्राम ईशवाना तहसील रैणी जिला अलवर मुताबिक हिस्सा जमाबंदी सहखातेदार है। अपीलाण्ट की माता का स्वर्गवास हो चुका है और अपीलाण्ट अपनी माता का जायज़ काबिज वारिस है। बहैसियत वारिस काबिज होकर अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर काबिज है। रेस्पोडेण्ट/वादी बहुत चालाक प्रवृति का व्यक्ति है जिसका अपीलाण्ट के हिस्से की आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट आराजी विवादित में सह खातेदार है और कानूनन सहखातेदार को सुनकर ही अधिनस्थ न्यायालय को अपना आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एक खातेदार के खिलाफ मनमाना आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.19 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी रैणी में दिनांक 10.10.19 को एक कैविएट प्रार्थना पत्र धारा 148ए सीपीसी बउनवान मुकदमा जयप्रकाश बनाम मुरारीलाल वगैरह जर्ये एडवोकेट बनाराम मीना द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना–पत्र में दर्ज आराजियात से

सम्बन्धित एक दावा बउनवान मूर्ति मंदिर श्री गोविन्ददेवजी महाराज जर्ये वादमित्र प्रदीप कुमार बनाम मालती देवी को पेश किया गया। न्यायालय द्वारा कैवियटकर्त्ता जर्ये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 15.10.19 को तलब किया गया। कैवियटकर्त्ता अधिवक्ता बनाराम मीना की तामिल दिनांक 21.10.19 को हुई, परन्तु अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा दिनांक 18.10.19 को ही बिना कैविएट एडवोकेट को सुने ही एकपक्षीय कार्यवाही में कैविएट प्रार्थना–पत्र को खारिज कर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट को अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया।

अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण विवादित आराजियात का सहखातेदार है, सुनवाई का मौका देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था। साथ ही रेस्पोडेण्ट/वादी विवादित आराजियात का वादमित्र नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.10.19 को खारिज किया जावें।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का कथन है कि उक्त अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को नहीं है। न्यायालय का ध्यान सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 43 की ओर इंगित कर कथन किए कि अधिवक्ता अपीलाण्ट का कैविएट प्रार्थना–पत्र खारिज करने का आदेश मातहत अदालत द्वारा दिनांक 18.10.19 को किया गया है तथा आदेशों की श्रेणी में आता है और इसकी अपील न की जाकर रिविजन किया जाना होता है। रिविजन का श्रवणाधिकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को है। अतः श्रवणाधिकार नहीं होने से अपील खारिज की जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस के पक्ष के पक्ष में कानूनी दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2009 (जे) राज. 724 प्रस्तुत किया गया।

अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 18.10.19 के पश्चात सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.10.19 के विरूद्ध जवाब प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु आज दिनांक तक अपीलाण्ट अदालत मातहत में उपस्थित नहीं हुआ। आलोच्य आदेश में अदालत मातहत द्वारा उभयपक्षों को पाबन्द किया हुआ है। अतः अपीलाण्ट अपील खारिज की जावें।

हमने वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.19 का अवलोकन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.19 को कैविएटर को अनुपस्थित मानते हुए प्रार्थना–पत्र को खारिज किया है तथा उसी दिनांक में विवादित आराजियात बाबत उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आगामी पेशी दिनांक 20.11.19 तक पाबंद किया है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के 'सार तत्व' से यह प्रकट है कि अपीलाण्ट को मुख्य अनुतोष दिनांक 18.10.19 के एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त करने से सम्बन्धित है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्व पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को,

अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त के आरएलडब्ल्यू 2009 (जे) राज. 724 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 46(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है और कोई भी हितैषी या वादमित्र मूर्ति की ओर से दावा दायर कर सकता है।

कैविएट के सम्बन्ध में यह तथ्य है कि अपीलाण्ट की तामिल से पूर्व ही कैविएटर की अनुपस्थिति दर्ज की गई है अर्थात् उसको नहीं सुना गया। परन्तु न्यायालय यदि 'अपरिहार्य कारणों से, जो अपने निर्णय में अंकित करना चाहिए' कैविएट को बिना सुने भी अग्रिम कार्यवाही कर सकता है, परन्तु यह अपवाद स्वरूप ही होना चाहिए। परन्तु अपीलाण्ट कैविएटर को दिनांक 21.10.19 को नोटिस मिलने के उपरान्त भी प्रकरण में दिनांक 09.04.21 तक भी कोई पक्ष नहीं रखा। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहद् पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को एक में निस्तारित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में न तो अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 09.04.21 को बावजूद सूचना के अपना पक्ष रखा, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण एक माह की अवधि में किया। प्रकरण में उभयपक्षकारान को पाबन्द किया हुआ है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी रैणी के निर्णय दिनांक 18.10.19 में बिना कोई हस्तक्षेप करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने उपरान्त प्रकरण को एक माह की अवधि में निस्तारित करें तथा अपीलाण्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना पक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी में प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर मातहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/8/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,